अध्याय–III

मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड तथा मैसर्स भारती हैक्साकॉम लिमिटेड द्वारा राजस्व शेयरिंग

3.1 मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड तथा मैसर्स भारती हैक्साकॉम लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा

भारती एयरटेल लिमिटड (बी ए एल), जो पहले भारती टेलीवेंचर लिमिटेड (बी टी वी एल) के नाम से जानी जाती थी, उन प्रथम निजी दूरसंचार कंपनियों में एक थी जिन्हें नवम्बर 1994 में सेल्यूलर सेवाएँ प्रदान करने हेतु लाइसेंस दिया गया था। लाइसेंस तब की कंपनी जिसका नाम भारती सेल्यूलर लिमिटेड था, को दिया गया था। 1 जनवरी 2000 तक बी ए एल के पास केवल दो सी एम टी एस लाइसेंस थे। वर्ष 2004 तक सभी 23 लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस के साथ पूरे भारत में कंपनी की मौजूदगी थी। बी ए एल पूरे भारत में सी एम टी एस/यूएएसएल लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रथम कंपनी थी। कंपनी का टर्न ओवर भी लगातार बढ़ा हैं। बीएएल ने भारतीय निजी दूरसंचार सेक्टर में अपना सर्वोच्च स्थान बनाए रखा है।

3.1.1 मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड व मैसर्स भारती हैक्साकॉम लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस

मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (बी ए एल) को नवम्बर 1994[1] में दिल्ली के मेट्रो लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल एस ए) तथा बाद में दिसम्बर 1995 में हिमाचल प्रदेश एल एस ए के लिये सेल्यूलर सेवायें प्रदान करने हेतु लाइसेंस दिये गये थे।

बी ए एल ने इसके आगे निम्न वर्णित सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त कियेः

तालिका 3.1

अवधि	प्राप्त लाइसेंस का विवरण
1999–2002	तीन कंपनियों[2] के अधिग्रहण द्वारा पांच सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस
2001	आठ[3] सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस
2004	छह[4] सेवा क्षेत्रों में यू ए एस एल लाइसेंस

1. लाइसेंस पूर्व इकाई ''भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड'' के नाम से जारी किया गया था।
2. जे टी मोबाईल (पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक), स्काई सेल (चैन्नई) एवं स्पाइस सेल (कोलकाता)
3. उ प्र (प), महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, केरल, मुम्बई, म प्र, व तमिलनाडु
4. उड़ीसा, जे एण्ड के, बिहार, उ प्र (पू), पश्चिम बंगाल व असम

बी ए एल की सहायक कंपनी मैसर्स भारती हैक्साकॉम लिमिटेड (बी एच एल), ने 2004 में उत्तर पूर्व और राजस्थान सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। इसलिये वर्ष 2004 से मैसर्स बी ए एल/बी एच एल की सभी 23 एल एस ए में लाइसेंस के साथ पूरे भारत में मौजूदगी थी।

1 अप्रैल 2006 को बी ए एल व इसकी सहायक कम्पनियों के पास अन्य लाइसेंस का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.2

क्रमांक	सेवा	रिमार्क
1	एन एल डी	मूल लाइसेंस भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
2	आई एल डी	मूल लाइसेंस भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
3	आई एस पी आई टी	मूल लाइसेंस भारती बी टी इंटरनेट लिमिटेड को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
4	वी एस ए टी	मूल लाइसेंस मेसर्स विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
5	आई एस पी	मूल लाइसेंस कामसेट मैक्स को जारी किया गया था जिसका अधिग्रहण भारती ब्रॉडबैंड लिमिटेड (बी बी एल) ने किया था। बी बी एल का बी ए एल के साथ विलय हो गया।
		मूल लाइसेंस मैसर्स भारती एक्वानेट लिमिटेड (बी ए क्यू एल) को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
6	वी एस ए टी	मूल लाइसेंस कामसेट मैक्स को जारी किया गया था जिसका अधिग्रहण भारती ब्राडबैंड लिमिटेड (बी बी एल) ने किया था। बी बी एल का बी ए एल के साथ विलय हो गया।
7	आई पी–1	मूल पंजीयन भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) के साथ था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
		मूल पंजीयन भारती टेलीनेट लिमिटेड के साथ था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
		बी ए एल की एक सहायक मैसर्स भारती इन्फ्राटेल के साथ पंजीकृत थी।

3.1.2 मैसर्स बी ए एल /बी एच एल को आबंटित स्पेक्ट्रम

मैसर्स बी ए एल /बी एच एल ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन (जी एस एम) ऑपरेटर हैं। जी एस एम ऑपरेटर तक ग्राहक एक्सेस (मेन रेडियो स्पेक्ट्रम) के लिये प्रारंभिक स्टार्ट स्पेक्ट्रम 2×4.4 मेगाहर्टज था। 31 मार्च 2010 को मैसर्स बी ए एल/बी एच एल को लाइसेंस सेवा क्षेत्र वार आबंटित स्पेक्ट्रम निम्नलिखित था:

तालिका सं. 3.3
लाइसेंस सेवा क्षेत्रवार आबंटित स्पेक्ट्रम

क्रम संख्या	स्पेक्ट्रम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	2X10 मेगाहर्टज	आंध्र प्रदेश, दिल्ली,कर्नाटक
2	2X9.2 मेगाहर्टज	बिहार, मुम्बई, तमिलनाडु (चेन्नई सहित)
3	2X8.2 मेगाहर्टज	महाराष्ट्र, राजस्थान
4	2X8 मेगाहर्टज	कोलकाता, उड़ीसा
5	2X7.8 मेगाहर्टज	पंजाब
6	2X7.2 मेगाहर्टज	यू पी पूर्व
7	2X6.2 मेगाहर्टज	असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व, यू पी पश्चिम, पश्चिम बंगाल

3.1.3 मैसर्स बी ए एल /बी एच एल का अभिदाता बेस

मैसर्स बी ए एल तथा मैसर्स बी एच एल के सैल्यूलर अभिदाता 31 मार्च 2007 को 3.71 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 12.76 करोड़ हो गये थे, यह वृद्धि 244 प्रतिशत थी। वायर–लाइन अभिदाता 31 मार्च 2007 को 0.19 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 0.31 करोड़ हो गये। भारती ग्रुप वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान सभी सेल्यूलर ऑपरेटरों में सर्वोच्च पर था तथा इसका मार्किट शेयर 31 मार्च 2010 को लगभग 21 प्रतिशत था।

3.1.4 मैसर्स बी ए एल /बी एच एल द्वारा बताये गये सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा राजस्व शेयर का भुगतान

जैसा कि पैराग्राफ 1.5 में बताया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता स्व–मूल्यांकन के आधार पर ए जी आर का निर्धारित प्रतिशत एल एफ व एस यू सी के रूप में तिमाही भुगतान करने हेतु अपेक्षित हैं। इन वर्षों में, मैसर्स बी ए एल/बी एच एल का सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा राजस्व शेयरिंग (एल एफ व एस यू सी) निम्नलिखित हैं:–

तालिका 3.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जी आर	कटौती	ए जी आर	ए जी आर की जी आर से प्रतिशतता	राजस्व शेयर (एल एफ+एस यू सी)
2006-07	20133	5452	14681	72.92	1687
2007-08	29222	7139	22084	75.57	2516
2008-09	40997	11082	29915	72.97	3689
2009-10	43649	11357	32292	73.98	3889
Total	**134001**	**35030**	**98972**	**73.86**	**11781**

3.2 मैसर्स बी ए एल /बी एच एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग

जैसा कि पैराग्राफ 1.4 (क) में उल्लिखित है, बताये गये सकल राजस्व में सभी प्रकार का राजस्व बिना किसी व्यय के आइटम इत्यादि के सेट ऑफ के शामिल होगा तथा जैसा कि पैराग्राफ 1.5 में बताया गया है, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दर्शाया जायेगा तथा कटौती/रिबेट का विवरण अलग दर्शाया जाएगा।

मैसर्स बी ए एल/बी एच एल की लेखा पुस्तकों/अभिलेखों (वाउचर, जनरल लेजर, ट्राइल बैलेंस, प्रॉफिट व लॉस एकाउन्ट, बैलेंसशीट आदि) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस करार के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसे आगे के पैराग्राफों में लाया गया है:

3.2.1 प्री पेड सेवाओं के लिये विक्रेताओं/अभिदाताओं को कमीशन/ऑफर/छूट से सम्बन्धित राजस्व को नेटिंग आफ करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये मैसर्स बी ए एल /बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्री पेड सेवाओं से सम्बन्धित डेटा/अभिलेख की जांच से यह पाया गया कि–

- प्री–प्रेड सेवाओं से संबंधित राजस्व से वितरकों/एजेन्टों को दिये गये मार्जिन/कमीशन को नेट ऑफ किया गया।
- अभिदाताओं को दिए गए ऑफर उदाहरणार्थ, ग्राहकों को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), ग्राहकों को फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी), ग्राहकों को कूपन/कार्ड/सिम, ग्राहकों को प्रोत्साहन ऑफर, ग्राहकों को दिया गया पूर्ण टाक टाइम, ग्राहकों को दिए गए समायोजन आदि को प्री पेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व से सेट–ऑफ किया गया था।

मदवार विवरण नीचे प्रस्तुत है–

क) मार्जिन/कमीशन

लाइसेंस धारक कम्पनी कमीशन के आधार पर दूरसंचार सेवाओं की बिक्री के लिये वितरकों/फ्रेंचाईजी/विक्रेताओं को नियुक्त करती है। कम्पनी अभिदाताओं को बिक्री के लिये वितरकों/फ्रेंचाईजी/एजेन्टो को, प्री पेड रिचार्ज कूपन/ई–टॉप–अप की आपूर्ति करती है तथा उन्हें कमीशन/मार्जिन का भुगतान करती है। वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये मैसर्स बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि रिचार्ज कूपन/ई–टॉप अप की बिक्री के समय वितरकों/फ्रेंचाईजी/विक्रेताओं को भुगतान की गई प्राथमिक कमीशन/मार्जिन की राशि को राजस्व से घटाया गया था। इसके परिणामस्वरूप लेखाओं में कमीशन/मार्जिन को राजस्व से सेट–ऑफ किया तथा जिसके कारण दू वि को प्रस्तुत ए जी आर विवरण में नेट राजस्व दिखाया गया। यह भी पाया गया कि वितरक/फ्रेन्चाईजी/विक्रेताओं को बिक्री के बाद भुगतान किये गये कमीशन/प्रोत्साहन को ''बिक्री कमीशन एवं प्रोत्साहन'' विवरण के तहत व्यय शीर्ष में दर्ज किया गया। 2006–07 से 2009–10 के दौरान वितरकों/फ्रेंचाईजी/एजेंटों/विक्रेताओं को कमीशन/मार्जिन के कारण राजस्व से कुल घटाई गई राशि ₹ 1070.78 करोड़ थी।

चूंकि, वितरकों/फ्रेंचाईजी/विक्रेताओं को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन व्यवसायिक व्यय (विपणन व्यय) की प्रकृति का है, अतः राजस्व से इस प्रकार के व्ययों का सेट–ऑफ लाइसेंस शर्तों के विरूद्ध था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया किः–

- कम्पनी व वितरकों के मध्य संबंध प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आधार पर था। तदनुसार कम्पनी को इस प्रकार के वितरकों के साथ लेन–देन का लेखांकन उसी प्रकार करना आवश्यक था जैसा वितरकों से प्राप्त राशि का होता है।
- इसके अतिरिक्त टीडीसैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को अपने निर्णय में कहा है कि ''हमारे विचार में सकल राजस्व की परिभाषा से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि लाइसेंस धारक को सेवा के लिये थोक कीमत, एम आर पी से कम निर्धारण करने से रोका जा सके। प्रश्न यह है कि वास्तविक लेन–देन कैसे हुआ है। यदि बिक्री व बिल एम आर पी पर हैं तथा कोई छूट अलग से दी गई है, तो धारा 19.1 के अनुसार लाभ व हानि लेखे में ऐसी छूट को नेट ऑफ करके राजस्व दर्ज होने पर भी यह छूट कटौती योग्य नहीं है। दूसरी तरफ यदि बिक्री नियत/सहमत कीमत पर होती है तथा बिल उस सहमत कीमत पर बनाया गया है तथा लाभ व हानि लेखे में राजस्व के अन्तर्गत तदनुसार किसी प्रकार की छूट को घटाये बिना दर्ज है, तो वास्तविक बिक्री कीमत राजस्व होगी एवं एम आर पी व बिक्री कीमत में भिन्नता सकल राजस्व में नहीं जोड़ी जा सकती है।
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमीशन/मार्जिन में से ₹ 8.78 करोड़ की अनुरूप क्रेडिट/कॉन्ट्रा प्रविष्टि की गई थी।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार इस प्रकार है–

प्रबन्धन के उत्तर के आधार पर कमीशन/मार्जिन के कारण राजस्व से कुल कटौती की राशि को संशोधित कर ₹ 1062 करोड़ किया गया है **(अनुलग्नक 3.01)**। तदनुसार कम्पनी द्वारा उक्त राजस्व पर एल एफ व एस यू सी की राशि क्रमशः ₹ 89.79 करोड़ व ₹ 45.40 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था **(अनुलग्नक 3.01)**।

अन्य मामलों के सम्बंध में, प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि–

- अंततः बी ए एल सेवायें देता है और यदि बी ए एल ग्राहकों को सीधे तौर पर कार्ड बेचता तो दी गई सेवा की पूर्ण कीमत के लिये राजस्व लेखित होता एवं बिक्री व्यय को व्यय के रूप में लेखित करता। उसी के अनुरूप वितरकों को दी गई छूट/कमीशन मार्केटिंग व्यय प्रकृति का होगा एवं इस प्रकार इसे राजस्व से नहीं घटाया जाना चाहिये। यह धारा 19.1 में वर्णित शर्तों के अनुसार है। आगे लेखापरीक्षा का विचार है कि यह लेन–देन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि ग्राहकों को सेवा देने की अन्तिम जिम्मेदारी बी ए एल/बी एच एल में निहित है न कि वितरकों में।
- जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि वितरकों/फ्रैंचाइजी/विक्रेताओं को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन मार्केटिंग व्यय की प्रकृति का है, अतः ऐसे व्यय का राजस्व के साथ सेट ऑफ लाइसेंस की शर्तों के विरूद्ध है।

ख) उपभोक्ताओं को ऑफर/छूट/रिबेट देना

- **फ्री एयर टाइम (एफ ए टी)** : कम्पनी द्वारा बड़े त्योहारों/अवसरों पर बिना किसी प्रभार के ग्राहक के खाते में अतिरिक्त टॉक–टाइम क्रेडिट किया जाता है। इस दिये गये अतिरिक्त टाक–टाइम को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी) कहते हैं।

- **ग्राहक/डीलर को फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी) कूपन/कार्ड/सिम** : इसी प्रकार बड़े त्योहारों/अवसरों पर ग्राहकों/विक्रेताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट कूपन/कार्ड/सिम दिया जाता था।

- **ग्राहकों को प्रोत्साहन ऑफर** : कम्पनी द्वारा बिना किसी प्रभार के ग्राहकों के खाते में प्रोत्साहन ऑफर के रूप में अतिरिक्त/अधिक टॉक–टाइम क्रेडिट किया जाता था।

- **ग्राहकों को दिया गया फुल टॉक–टाइम** : कम्पनी द्वारा ग्राहकों के खाते में प्रोत्साहन के रूप में फुल टॉक–टाइम क्रेडिट किया जाता था।

- **ग्राहकों को दिया गया समायोजन (नेगेटिव प्रोसेसिंग फीस/प्रारंभिक टॉक–टाइम/अप साइज या अग्रिम हिट ऑन टॉक–टाइम/विभिन्न समायोजन)** : कम्पनी द्वारा ग्राहकों के खातों में आर सी/ई–रिचार्ज के अंकित मूल्य से अधिक टॉक टाइम क्रेडिट किया गया था या कभी कभी प्रोत्साहन के रूप में ग्राहकों/विक्रेताओं की सुविधा हेतु टॉक–टाइम के लाभ के साथ समायोजन किया गया था।

2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अभिदाताओं को दिये गये उक्त प्रोत्साहनों की कीमत को प्री–पेड सेवाओं के राजस्व से अग्रिम घटाया जाता था तथा जैसे ही ग्राहक द्वारा इसका उपयोग किया जाता था, राजस्व में उक्त राशि जोड़ दी जाती थी। परिणामतः अभिदाताओं को दिए गए इन ऑफर्स के कारण राजस्व को सकल राजस्व/ए जी आर में नहीं लिया गया था। यह भी देखा गया कि एफ ओ सी/प्रोत्साहन ऑफर/अपसाइज आदि को व्यय शीर्ष में बुक किया गया था।

चूंकि, ग्राहकों के लिये ऑफर (एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी/अतिरिक्त टॉक टाइम आदि) व्यापार बढ़ाने हेतु समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग थे, उन ऑफर/छूट/रिबेट की लागत व्यय प्रकृति की थी। इसके अतिरिक्त लाइसेंस करार के अनुसार सेवा राजस्व बिना किसी सेट–ऑफ के सकल दर्शाया जाना चाहिये। इस प्रकार प्रबन्धन की राजस्व से ऑफर/छूट/रिबेट की लागत को राजस्व से सेट–आफ करने की कार्यवाही लाइसेंस करार के विरूद्ध है, जिसके कारण एल एफ तथा एस यू सी का कम भुगतान हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 3.5

(₹ करोड़ में)

ग्राहकों को छूट/रिबेट/ऑफर	जी आर की कम रिपोर्टिंग	एल एफ प्रभाव	एस यू सी प्रभाव	टिप्पणी
फ्री एयर टाइम (एफ ए टी)	598.57	54.71	26.97	अनुलग्नक – 3.02
फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी) कूपन/कार्ड/सिम	40.62	3.61	1.58	अनुलग्नक – 3.03
ग्राहकों को प्रोत्साहन ऑफर	74.76	5.88	2.88	अनुलग्नक – 3.04
फुल टाक–टाइम	10.63	1.35	0.63	अनुलग्नक – 3.05
नेगेटिव प्रोसेसिंग फीस/प्रारंभिक टाक–टाइम/अप साइज/विभिन्न समायोजन	282.65	24.72	12.23	अनुलग्नक – 3.06
कुल	**1007.23**	**90.27**	**44.29**	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि:–

- कम्पनी बाजार मांग/प्रबन्धन निर्णय के आधार पर अपने ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ के रूप में अतिरिक्त टॉक टाइम देती है जो कि कम्पनी द्वारा समय समय पर संचालित विविध योजनाओं के आधार पर सामान्य टॉक टाइम के अतिरिक्त है। इस अतिरिक्त टॉक टाइम को फ्री टॉक टाइम के नाम से जाना जाता है। एफ ए टी प्री–पेड ग्राहकों को स्टार्टअप किट (एस यू के) रिचार्ज कूपन (आर सी) या आरम्भिक क्रेडिट के द्वारा प्रदान की जाती है। यह सामान्यतया त्योहारों के अवसर पर नये ग्राहकों को आकर्शित करने, नई दरों को लोकप्रिय बनाने आदि के लिये दिये जाते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक प्रोसेसिंग फीस की राशि (जो कि एफ ए टी के कारण उत्पन्न होती है) वास्तव में ग्राहक को दी गई छूट है।
- एफ ए टी नियोजित छूट की प्रकृति का है तथा ट्राई को फाइल की गई टैरिफ योजना का भाग है। यह उपभोक्ताओं को अग्रिम में दिया गया है तथा इस प्रकार की काल्पनिक राशि पर लाइसेंस फीस नहीं दी जा सकती हैं।
- ए एस–9 के अनुसार, "राजस्व उद्यम के सामान की बिक्री से, सेवाएँ प्रदान करने से उत्पन्न नकद, प्राप्य तथा कंसिडरेशन का सकल अन्तः प्रवाह है तथा................
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी आदि में से ₹ 48.49 करोड़ की अनुकूल क्रेडिट/कॉन्ट्रा/दोहरी प्रविष्टि की गई थी।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार निम्नलिखित है–

- एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी आदि पर आरंभ में ली गई राशि ₹ 1055.60 करोड़ मे से ₹ 48.38 करोड़ (प्रबंधन के उत्तर में बताये गये ₹ 48.49 में से) की कॉन्ट्रा प्रविष्टियां स्वीकार करते हुए आंकड़ों को संशोधित कर ₹ 1007.23 करोड़ किया गया है। प्रबंधक के उत्तर का ₹ 0.11 करोड़ (₹ 48.49 करोड़– ₹ 48.38 करोड़) लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह प्रविष्टि आरम्भ में लिए गए ₹ 1055.60 करोड़ के एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी इत्यादि में शामिल नहीं था।
- प्रबंधन ने स्वीकार किया कि अतिरिक्त टॉक टाइम/फ्री एयर टाइम आदि सामान्यतः त्योहारों के अवसर पर दिया जाता है ताकि नई दर योजनाओं को लोकप्रिय बनाया जा सके, नये अभिदाताओं को आकर्षित किया जा सके इत्यादि। अतः इस प्रकार के ऑफर/छूट/रिबेट व्यय की प्रकृति के होते हैं और इसीलिये, लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार जी आर से इनकी कटौती नहीं की जानी चाहिये।
- ट्राई को प्रस्तुत प्री पेड टैरिफ योजना की प्रति (जो लेखापरीक्षा को दी गई) में किसी प्रकार का एफ ए टी/छूट आदि शामिल नहीं थी, चाहें यह बिल योग्य हो अथवा नहीं।
- लेखापरीक्षा ने ए एस–9 के अनुसार लेखांकन पर कोई प्रश्न नहीं किया है, बल्कि तर्क यह है कि एयर टाइम मुफ्त की वस्तु नहीं है, इसका यथार्थ मूल्य है तथा एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी इत्यादि के द्वारा लाइसेंस धारक इन्हें व्यय दिखाने के बजाय राजस्व कम कर रहे है जिससे एल एफ तथा एस यू सी से बच रहे हैं।

इस प्रकार प्री पेड अभिदाताओं को ₹ 1007.23 करोड़ के दिये गये ऑफर/ छूट/रिबेट को नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये जिससे अन्ततः दूरसंचार विभाग को एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 90.27 करोड़ व ₹ 44.29 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

ग) राजस्व शीर्ष में अग्रिम डेबिट के कारण राजस्व का कम दर्शाया जाना

कम्पनी द्वारा राजस्व के लेखांकन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार जबकिं अग्रिम में प्राप्त राजस्व देनदारी में लेखित होता था, इस राशि पर भुगतान किया गया मार्जिन/कमीशन/एफ ए टी/एफ ओ सी को वर्तमान राजस्व में डेबिट किया जाता था। इसके कारण वर्तमान राजस्व भुगतान किये गये मार्जिन/ कमीशन/एफ ए टी/एफ ओ सी के बराबर कम लेखित हुआ, परिणाम स्वरूप इस राशि पर एल एफ व एस यू सी का स्थगन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि सैटऑफ/अग्रिम प्रभारों के पैरा {पैराग्राफ 3.2.1 (क) व (ख)} के लिये दिये गये उत्तर में इनको पहले ही कवर किया गया था। तथापि, लेखांकन के परिप्रेक्ष्य में राजस्व वास्तविक उपयोग के आधार पर माना जा रहा हैं।

ऑडिट वास्तविक उपयोग के आधार पर लेखाकंन पर प्रश्न नही कर रहा है। परन्तु तथ्य यह है कि अग्रिम में प्राप्त राजस्व के भुगतान किए गए मार्जिन/कमीशन/एफ ए टी/ एफ ओ सी को वर्तमान राजस्व में से अग्रिम डेबिट किए जाने से डेबिट की गई राशि की सीमा तक एल एफ तथा एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

3.2.2 पोस्ट–पेड अभिदाताओं को प्रदान किये गये वेवर/छूट के नेटिंग ऑफ के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत की गई पोस्ट–पेड सेवाओं से सम्बंधित डेटा/अभिलेखों की जांच से यह देखा गया कि–

- कम्पनी द्वारा पोस्ट–पेड उपभोक्ताओं को वेवर (स्थापना प्रभार वेवर/एयर टाइम वेवर/अन्य फीस व प्रभार वेवर/किराया वेवर/वी ए एस राजस्व वेवर) तथा किराया/एयर टाइम/अन्य छूट दी गई थी। यह भी पाया गया कि कम्पनी ने वेवर तथा छूट को व्यय शीर्ष के बजाय पोस्ट–पेड राजस्व में डेबिट किया था। परिणामस्वरूप, ए जी आर के लिये लिया गया राजस्व क्रमशः ₹ 180.74 करोड़ व ₹ 842.12 करोड़ कम बताया गया था **(अनुलग्नक 3.07 व 3.08)**।
- कम्पनी के ए जी आर विवरण तथा वित्तीय विवरण (टी बी/मिलान विवरण जो लेखापरीक्षा को दिये गये थे) में दर्शाये गये राजस्व के मिलान के दौरान, यह भी पाया गया कि प्रारम्भ में वेवर के कारण ए जी आर प्राप्त करने के लिये जी आर से ₹ 112.93 करोड़ की कटौती की गई थी। विस्तृत समीक्षा से पता चला कि यह राशि ''गुडविल इंगित करने के लिये वेवर,'' ग्राहक सेवा व्यय आदि से सम्बन्धित व्यय शीर्ष में दर्ज की गई थी। **(अनुलग्नक 3.09)**
- पुनः किराया/एयरटाइम/अन्य कटौती और वेवर व्यवसाय बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग थे और इसलिये ऐसे ऑफर/छूट व्यय की प्रकृति के हैं। अतः लाइसेंस करार के अनुसार जी आर से इनकी कटौती नहीं की जानी चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर यह उत्तर दिया गया किः–

- सेवाएँ बिल किए जाने वाले छूट, प्रक्रिया वेवर तथा करों को छोड़कर दी गई थी, अतः तद्नुरूप सेवा राजस्व माना गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी के मानक के अन्तर्गत, लाइसेंस करार के परिशिष्ट III के अनुसार उपार्जित राजस्व में ''उस अवधि के लिये बिल योग्य सारी राशि'' शामिल होगी। इस प्रकार जी आर की गणना करते समय, इस प्रकार की सारी राशि (बिल योग्य छूट और प्रक्रिया वेवर इत्यादि) राजस्व से अलग कर दिए जाएँगें।
- प्रक्रिया वेवर बिलिंग में त्रुटि के कारण दी जा रही थी और लाइसेंस करार के परिशिष्ट ।।। के अनुसार उपार्जित राजस्व की श्रेणी में बिल योग्य नहीं थे क्योंकि सेवायें नहीं दी गई थी अथवा बिल सही नहीं बनाये गये थे। प्रक्रिया वेवर (₹ 842.12 करोड़) में ₹ 624.44 करोड़ की बिल योग्य छूट शामिल थी, इसीलिये वास्तविक प्रक्रिया वेवर ₹ 217.67 करोड़ था।
- गुडविल वेवर उपभोक्ता बनाए रखने व संबंध बरकरार रखने के लिये दी गई छूट की प्रकृति के थे। यद्यपि वे सेवा राजस्व का भाग होते हैं, कम्पनी ने जी आर से इस प्रकार की वेवर की राशि को गुडविल वेवर के रूप में कम किया है।
- बिल योग्य छूट ट्राई को फाइल किए गए टैरिफ का भाग है, अतः लाइसेंस करार के अनुसार ए जी आर के उद्देश्य हेतु राजस्व का भाग नहीं है।
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए ₹ 206.55 करोड़ के बिल योग्य कटौती में से ₹ 25.81 करोड़ की संगत क्रेडिट/कॉन्ट्रा प्रविष्टि की गई।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार नीचे दिया गया हैः

- प्रारम्भ में, बताए गए ₹ 206.55 करोड़ की छूट में से प्रबंधन के उत्तर में बताए गए ₹ 25.81 करोड़ राशि की कॉन्ट्रा प्रविष्टि पर विचार किया गया है तथा आंकड़ों को संशोधित कर ₹ 180.74 करोड़ किया गया है।
- लाइसेंस करार के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी के मानकों के अनुसार सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दर्शाया जायेगा तथा रिबेट/छूट के विवरण पृथक निर्दिष्ट किये जायेंगे। इससे यह प्रकट होता है कि सेवा राजस्व सकल में दर्शाया जाना चाहिये, तथापि वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबन्धन ने रिबेट/छूट को नेट–ऑफ किया जो कि लाइसेंस करार के विरूद्ध है। पुनः लाइसेंस करार का परिशिष्ट ।।। यह निर्दिष्ट नहीं करता कि छूट अथवा प्रक्रिया वेवर आदि जी आर की गणना करते समय राजस्व से घटाए जाएँगे।
- प्रबंधन का तर्क कि वेवर (₹ 842.12 करोड़) में बिल योग्य छूट ₹ 624.44 करोड़ शामिल है, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ट्रायल बैलेंस (टी बी) एवं ओरेकल फाइनेंस सिस्टम से निकाले गये डेटा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि टी बी के लेखाशीर्ष के विश्लेषण तथा इन वेवर से सम्बन्धित जनरल लेजर से लिये गये डाटा स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट करते हैं कि ये इंस्टालेशन प्रभार वेवर/एयर टाइम वेवर/अन्य फीस व प्रभार वेवर/किराया वेवर/वी ए एस राजस्व वेवर थे। यह नहीं बताया गया था कि ये प्रविष्टियां गलत बिलिंग के कारण थी। शेष ₹ 217.67 करोड़ के सम्बंध में यह देखा गया था कि पोस्ट–पेड उपभोक्ताओं के लिये बिलिंग के प्रकरण में, बाद में यह पुष्टि होने पर कि बिल में गलती थी, तो इसे सम्बन्धित राजस्व कोड में प्रतिवर्तित/समायोजित किया गया था। यह देखा गया कि इस प्रकार की जनरल लेजर में कई प्रतिवर्तन तथा समायोजन प्रविष्टियां थी। पुनः प्रबन्धन ने अपने तर्क कि वेवर बिलिंग में त्रुटियों के कारण थे, के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दिया।
- प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि गुडविल वेवर उपभोक्ता बनाए रखने तथा सम्बंध बरकरार रखने के लिये दी गई छूट की प्रकृति के है तथा यद्यपि वे सेवा राजस्व का भाग होते हैं, इन्हें जी आर से घटाया गया। चूंकि यह व्यवसाय को बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का एक भाग थे, अतः वे व्यय की प्रकृति के थे और लाइसेंस करार के अनुसार व्यय से सम्बन्धित मदों के लिये सैट–ऑफ अनुमत्य नहीं था। इसलिये इन्हें जी आर में वापस जोड़ा जाना चाहिए।
- ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ योजनाओं की प्रति (लेखापरीक्षा को प्रदान की गई) में किसी प्रकार की छूट को शामिल नहीं किया गया था चाहें यह बिल योग्य हो अथवा नहीं।

इस प्रकार पोस्ट–पेड अभिदाताओं को दिये गये ₹ 1135.79 करोड़ की वेवर तथा छूट की राशि को नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये एवं भारत सरकार को एल एफ तथा एस यू सी क्रमशः ₹ 104.54 करोड़ तथा ₹ 49.65 करोड़ का भुगतान हुआ **(अनुलग्नक 3.07, 3.08 व 3.09)**

3.2.3 अन्य ऑपरेटरों को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूटों को सैट–ऑफ करने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

मात्रा छूट व्यक्तियों या व्यापार जो कि कई इकाईयों या अधिक मात्रा में सामान/सेवा खरीदते हैं के लिये एक वित्तीय प्रोत्साहन है। दूरसंचार के परिदृश्य में प्रचालकों के मध्य रोमिंग करार विशेष सेवा प्रदाता के ग्राहकों के मामलों में जहां सेलर नेटवर्क का बल्क में उपयोग किया जाता है, देने के लिए किया जाता है। छूट की परस्पर सहमति के कारण प्रोत्साहन का शुद्ध भुगतान हुआ।

बी ए एल तथा बी एच एल ने रोमिंग सेवाओं के लिये अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ समझौता किया था। यह देखा गया कि इन ऑपरेटरों को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूटों को राजस्व शीर्ष लेखों से डेबिट/कम किया गया था।

अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था रखना दो ऑपरेटरों के मध्य आपसी करार का मामला था और रोमिंग के लिये सहमत प्रभार के अतिरिक्त छूट देना समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग था ताकि दो ऑपरेटरों के बीच व्यवसाय बढ़ाया जा सके। इस प्रकार ये छूट व्यय की प्रकृति के थे तथा इसीलिये लाइसेंस करार के अनुसार इनको राजस्व से घटाया नहीं जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2006–07 से 2009–10 की अवधि के दौरान ₹ 165.59 करोड़ की राशि को इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूटों के रूप में रोमिंग राजस्व से डेबिट किया गया था **(अनुलग्नक–3.10)**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, बी ए एल प्रबन्धन ने बताया कि:–

- अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग लेन–देन सहमत मात्रा आधारित छूट की प्रकृति के हैं।
- अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग राजस्व व्यवसाय द्वारा अंगीकृत समझौतों के आधार पर अर्जित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑपरेटर उनके बीच में मात्रा छूट के आधार पर किसी प्रकार की कार्यपद्धति से प्रदान किए जाने वाले ट्रैफिक की मात्रा पर सहमत होते हैं। यह व्यापार/मात्रा छूट की प्रकृति का है तथा इसे व्यय के रूप में नही लिया जाना चाहिए।
- ₹ 168.24 करोड़ की आई ओ टी छूट (प्रारम्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित) में से ₹ 2.58 करोड़ की अनुकूल क्रेडिट/कान्ट्रा प्रविष्टि हुई, ₹ 0.07 करोड़ दो बार लिया गया तथा लेखापरीक्षा ने आई ओ टी से सम्बन्धित राशि ₹ (-50.89) करोड़ पर विचार नहीं किया।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखपरीक्षा का विचार नीचे दिया गया है :

- प्रबन्धन के उत्तर में बताए गए कॉन्ट्रा तथा दोहरी प्रतिफल राशि क्रमशः ₹ 2.58 करोड़ तथा ₹ 0.07 करोड़ पर विचार किया गया है तथा आंकड़े ₹ 168.24 करोड़ से संशोधित करके ₹ 165.59 करोड़ किए गए हैं। (₹ 168.24 करोड़– ₹ 2.58 करोड़– ₹ 0.07 करोड़)
- जैसा कि पैराग्राफ मे पहले ही लाया गया है कि रोमिंग के लिये सहमत प्रभारों के अतिरिक्त छूट देना समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग था ताकि दो ऑपरेटरों के मध्य व्यवसाय को बढ़ाया जा सके; इस प्रकार यह छूट व्यय की प्रकृति का है। चूंकि लाइसेंस करार किसी प्रकार की नैटिंग–ऑफ की अनुमति नहीं देता है, इस प्रकार का व्यय घटाया नहीं जा सकता तथा सकल राजस्व में सम्मिलित होगा।

- प्रबंधन के उत्तर में उल्लिखित आई ओ टी से सम्बन्धित राशि ₹ (–50.89) करोड़ की प्रविष्टियों पर विचार न करने के सम्बन्ध में यह देखा गया था कि ये प्रविष्टियां आई ओ टी प्राप्तियों की प्रकृति के हैं (उदाहरणार्थ वोडाफोन आई ओ टी क्षतिपूर्ति प्राप्ति आदि) तथा अन्य ऑपरेटरो को भुगतान की गई आई ओ टी छूट की प्रकृति के नहीं है। चूंकि लाइसेंसी करार के खंड 19.1 में कोई नैटिंग ऑफ अनुमत्य नहीं है, उस पर लेखा परीक्षा ने विचार नही किया।

अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग ऑपरेटरों को दी गई राशि ₹ 165.59 करोड़ **(अनुलग्नक–3.10)** की आई ओ टी छूट को नैटिंग–ऑफ के कारण जी आर/ए जी आर में कमी आई एवंम भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी में क्रमशः ₹ 15.62 करोड़ तथा ₹ 7.22 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

3.2.4 बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से अवसंरचना शेयरिंग से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

जैसाकि पैराग्राफ 1.4 (क) में उल्लिखित है, अवसंरचना के अनुज्ञेय शेयरिंग तथा कोई अन्य विविध राजस्व बिना किसी सम्बन्धित व्यय मद आदि के सैट–ऑफ के शामिल होंगे।

बी ए एल/बी एच एल के स्वामित्व वाले दूरसंचार अवसंरचना (टावर, उपस्कर का नेटवर्क आदि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ साझा किया जा रहा था। बी ए एल/बी एच एल ने अवसंरचना (सेल साइट) शेयरिंग के लिये अन्य दूरसंचार कम्पनियों से करार किया। अन्य ऑपरेटरों के साथ करार के अनुसार, शेयरिंग सेल स्थल के लिये अन्य ऑपरेटरों से वसूली योग्य प्रभार बी ए एल/बी एच एल द्वारा वहन किये गये स्थल की कैपेक्स लागत[5] न कि ओपेक्स लागत[6] की निर्धारित प्रतिशतता पर आधारित थे।

2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए अवसंरचना साझेदारी प्रभारों से संबंधित डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला किः–

क) अवसंरचना साझेदारी प्रभारों जो कि, वसूली योग्य/वसूल किए गए किराए, की प्रकृति के थे, अंशतः अवसंरचना शेयरिंग से सम्बन्धित राजस्व शीर्ष में दर्ज किये गये तथा शेष को सम्बन्धित व्यय शीर्ष से नेट ऑफ किया गया।

ख) ईंधन (डीजल), बिजली, मरम्मत व अनुरक्षण तथा सुरक्षा के कारण वसूली योग्य/वसूल किये गये अन्य अवसंरचना साझेदारी प्रभारों को व्यय शीर्ष से नेट ऑफ किया गया तथा राजस्व में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया।

2006–07 से 2009–10 की अवधि में स्थल शेयरिंग राजस्व (किराया, डीजल, बिजली, मरम्मत व अनुरक्षण तथा सुरक्षा) के कारण व्यय से नेट ऑफ कुल राशि ₹ 224.22 करोड़ थी **(अनुलग्नक–3.11)**। यह राशि जी आर/ए जी आर में ली जानी चाहिये थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, बी ए एल/बी एच एल द्वारा यह उत्तर दिया गया किः–

- अवसंरचना स्थल साझेदारी के सम्बंध में राजस्व दर्ज करने की कार्यविधि में दो तत्व हैं–

क) ओपेक्स प्रतिपूर्ति– वाणिज्यिक शक्ति, ईंधन (डीजल), सुरक्षा व ए एम सी जो कि वास्तविक व्यय

---

5 पूँजीगत लागत

6 परिचालन व्यय

की प्रतिपूर्ति की प्रकृति के थे, सम्बन्धित शीर्ष में क्रेडिट किये गए थे।

ख) कैपेक्स वसूली–यह राशि जोकि किराये की प्रकृति की थी, भारती एयरटेल द्वारा अवसंरचना शेयरिंग आय' के अन्तर्गत शामिल की गई।

यह भी कहा गया कि किराये का जो भाग व्यय शीर्ष में क्रेडिट किया गया था, केवल ओपेक्स वसूली की प्रकृति का है और ए एस–29 के अनुसार लाभ व हानि विवरण में प्रावधान से सम्बन्धित व्यय, प्रतिपूर्ति के लिये पहचानी गई कुल राशि को घटाकर प्रस्तुत किया गया।

- यह भी कहा गया कि अगस्त 2007 के टीडीसैट निर्णय के अनुसार, अन्य कम्पनियों से प्राप्त लागत/ व्यय की प्रतिपूर्ति ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

बी ए एल प्रबंधन का उत्तर निम्न कारणों से तर्क संगत नहीं है :–

- लाइसेंस करार के अनुसार, जी आर में विशेष रूप में अवसंरचना की अनुज्ञेय हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व संबंधित व्यय मद के लिये कोई सैट–ऑफ किए बिना शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस करार कैपेक्स व ओपेक्स के मध्य अवसंरचना हिस्सेदारी राजस्व का भेद नहीं करता है। इसलिये अवसंरचना हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व में व्यय को सैट–ऑफ करना अनुज्ञेय नही है। आगे लाइसेंस करार केवल तीन अनुज्ञेय कटौती की अनुमति देता है तथा इस प्रकार की कोई कटौती (अर्थात् अवसंरचना हिस्सेदारी की लागत की प्रतिपूर्ति के कारण) अनुज्ञेय नहीं थी।
- उत्तर में संदर्भित टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2011 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया था।
- आडिट का मत है कि डीजल व्यय, सुरक्षा व्यय, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय तथा बिजली प्रभार प्रतिपूर्ति की प्रकृति के नहीं थे क्योंकि टावर शेयर करने या न करने दोनों स्थिति में ये व्यय करने थे। वास्तव में व्यय की शेयरिंग से कंपनी को अतिरिक्त आय का लाभ मिला।

इस प्रकार, 2006–07 से 2009–10 की अवधि में सम्बन्धित लागत से अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से प्राप्त/प्राप्त योग्य स्थल हिस्सेदारी राजस्व के नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 224.22 करोड़ कम बताया गया तथा इससे बी ए एल/बी एच एल द्वारा एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 19.30 करोड़ तथा ₹ 9.08 करोड़ का कम भुगतान हुआ। **(अनुलग्नक–3.11)**

3.2.5 बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये फोरेक्स लाभ से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वर्ष 2006–07 से 2007–08 के लिये मैसर्स बी ए एल/बी एच एल द्वारा अपनाई गई लेखांकन पॉलिसी के अनुसार भुगतान अथवा देनदारी के परिवर्तन से उद्भूत विदेशी विनिमय अन्तर का सिवाय स्थिर सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये देनदारियॉं जहां ऐसी विनिमय भिन्नता का समायोजन सम्बन्धित स्थिर सम्पत्ति की लागत में किया जाता है, उसी वर्ष में आय या व्यय में दर्शाना है जिस वर्ष में ये उदभूत होती हैं।

पुनः, दोनों कम्पनियों ने 1 अप्रैल 2008 से अपनी पॉलिसी बदल दी ताकि स्थिर सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये लोन/देनदारी के सम्बंध में लाभ/हानि का उतार–चढ़ाव सीधे लाभ–हानि खाते में चार्ज/क्रेडिट किया जा सके।

2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा/अभिलेख की समीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान प्राप्त लाभ ₹ 221.58 करोड़ था जिसमें से केवल ₹ 5.93 करोड़ फोरेक्स लाभ को 2006–07 अवधि में मैसर्स बी ए एल के यू ए एस एल/एन एल डी/आई एल डी लाइसेंस के अन्तर्गत जी आर/ए जी आर लिया गया **(अनुलग्नक–3.12)**

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ओरेकल वित्तीय प्रणाली से प्राप्त की गई रिपोर्ट से निकाले गये डेटा से उपरोक्त प्राप्त लाभ की गणना उस विशेष मद के वास्तविक लाभ को प्रस्तुत नहीं करती क्योंकि कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष विदेशी विनियमन लाभ/हानि शीर्ष के अन्तर्गत शामिल सभी मदों की कीमत को रिकास्ट किया, मैच्योर्ड मदों को प्राप्त हो चुके लाभ के अन्तर्गत लेखांकित किया और अन–मैच्योर्ड मदों को प्राप्त नही किए गए लाभ के अन्तर्गत रखा गया। इस कारण उस वर्ष में एक विशेष मद में प्राप्त लाभ वास्तविक लाभ नहीं है क्योंकि बीच की अवधि मे प्राप्त लाभ/हानि को अनरियलाइज्ड के अंतर्गत लेखांकित किया गया। लेखापरीक्षा में प्रत्येक मद की वास्तविक कीमत के अभाव में प्रत्येक वर्ष प्राप्त लाभ के अन्तर्गत लेखांकित मदों की वास्तविक कीमत का पता नहीं चला। पुनः लेखापरीक्षा ने त्रैमासिक शुद्ध लाभ पर लेखाशीर्ष अनुसार, एल एस ए अनुसार विचार किया क्योंकि लेखापरीक्षा के लिये उपलब्ध कराये गये डेटा से लाभ के लेखांकित आंकड़े एकत्रित/अलग करना संभव नहीं था। प्रदाता को प्रत्येक मद के लाभ की गणना उसकी प्रारंभिक कीमत के संदर्भ में करना चाहिये और कुल फोरेक्स लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया किः–

- फोरेक्स लाभ राजस्व नहीं था : राजस्व स्वीकृति के लेखांकन मानक 9 के अनुसार, विदेशी विनिमय लाभ राजस्व की परिभाषा से विशेष रूप से अलग किया गया है।
- फोरेक्स लाभ काल्पनिक था; वसूला गया फोरेक्स एक समग्र व्यवसायिक जोखिम है जो प्रत्येक कम्पनी को विदेशी मुद्रा लेन–देन में लेना होता है। देनदारी/लोन में कमी/वृद्धि के कारण इस प्रकार के काल्पनिक लाभ/हानि को प्रचालन से राजस्व प्राप्त नहीं माना जा सकता है तथा जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।
- फोरेक्स लाभ व हानि परिवर्तनशील व अनिश्चित थे : राजस्व बेस (ए जी आर) की परिभाषा में ट्राई की सिफारिशें दिनांक 6 जनवरी 2015 बताती है कि विदेशी विनिमय के उतार–चढ़ाव के कारण उद्भूत राजस्व/लाभ एल एफ व एस यू सी के परिकलन के उद्देश्य से ए जी आर का भाग नहीं होने चाहिये। पुनः टीडीसैट (अगस्त, 2007) ने भी फोरेक्स लाभ हानि को ट्राई के अनुरूप ही माना।
- दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं है : काल्पनिक विदेशी विनिमय उतार–चढ़ाव आकस्मिकता था जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यवसाय पर है तथा दूरसंचार व्यवसाय के लिये विशेष व अनोखा नहीं था। ए जी आर मामले पर ट्राई सिफारिशों दिनांक 13 सितम्बर 2006 के अनुसार भी, फोरेक्स दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं था।
- पुनः बी ए एल ने बताया कि वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान वसूले गये फोरेक्स लाभ की राशि ₹ 73.49 करोड़ थी।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकिः–

- लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार जी आर में अन्य कोई भी विविध राजस्व शामिल है तथा लेखापरीक्षा का यह मत है कि निजी सेवा प्रदाताओं का कोई भी लाभ जी आर में शामिल होना चाहिए।
- कम्पनी लेखांकन के लिये वाणिज्यिक तरीके अपनाती है तथा लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार, लाभ/हानि की गणना सभी उपार्जित प्राप्तियों तथा व्यय को हिसाब में लेने व दो भिन्न तारीखों के मध्य व्यापार सम्पत्तियों का मिलान करने के बाद करनी है। लेखांकन के व्यापारिक तरीके में विनिमय भिन्नता के कारण उत्पन्न फोरेक्स लाभ (राजस्व)/हानि (व्यय) तार्किक है तथा इसे आकस्मिक/काल्पनिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता है। पुनः लेखापरीक्षा ने केवल प्राप्त किए गए लाभ पर विचार किया है।
- वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान, बी ए एल/बी एच एल द्वारा अपनाई लेखांकन पॉलिसी के अनुसार भी भुगतान अथवा देनदारी के परिवर्तन से उद्भूत विदेशी विनिमय भिन्नताओं के कारण आय अथवा व्यय जिस वर्ष में उद्भूत हुई थी उसी वर्ष में मानी जायेगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में एक्सचेंज भिन्नता (नेट के आधार पर) को रिपोर्ट किया था।
- उत्तर में संदर्भित टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के आलोक में कोई महत्व नहीं हैं। इस निर्णय के अनुसार ''ट्राई तथा ट्रिब्युनल को लाइसेंस करार की ए जी आर की परिभाषा की वैधता तथा राजस्व के कुछ मद जो लाइसेंसर तथा लाइसेंसी के मध्य करार में परिभाषित ए जी आर में शामिल थे को उससे बाहर करने का कोई अधिकार नहीं है। लेखापरीक्षा का मत है कि फोरेक्स लाभ दूरसंचार संचालकों के दूरसंचार गतिविधियों से संबंधित हैं।
- यह सत्य नहीं है कि विदेशी विनिमय लाभ/हानि न तो लाइसेंस करार में जी आर की परिभाषा में कवर किये जाते हैं और न ही ए जी आर के विवरण में बताये जाते हैं, चूँकि लाइसेंस करार बताता है कि ''सकल राजस्व में...................... अन्य विविध राजस्व व्यय की सम्बन्धित मदों को हटाए बिना शामिल होगी''। इस प्रकार फोरेक्स लाभ विविध राजस्व का हिस्सा थी।
- उत्तर में संदर्भित ट्राई की सिफारिश दूरसंचार विभाग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार नहीं की गई है।
- उपरोक्त वसूला गया फोरेक्स लाभ ₹ 73.49 करोड़ की गणना टी एस पी द्वारा व्यवसाय यूनिट/लाइसेंस में फोरेक्स लाभ/हानि के लिये दर्ज सभी लेखा कोड के वार्षिक शुद्ध लाभ पर विचार करने के बाद की गई थी। फिर भी लेखापरीक्षा ने त्रैमासिक शुद्ध लाभ को एल एस ए अनुसार विचार किया क्योंकि एल एफ और एस यू सी त्रैमासिक आधार पर देय है इसलिये अंकों में अंतर है।

इस प्रकार, 2006–07 से 2009–10 की अवधि से सम्बन्धित विदेशी विनिमय लाभ को शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 216.84 करोड़ कम बताये गये। परिणामतः, बी ए एल/बी एच एल द्वारा क्रमशः ₹ 17.46 करोड़ तथा ₹ 6.74 करोड़ के एल एफ व एस यू सी का भुगतान नहीं किया गया। **(अनुलग्नक–3.12)**

3.3 राजस्व विवरणों व एल एफ (ए जी आर विवरण) में राजस्व कम बताये गये यद्यपि लेखा पुस्तकों में बताई गई थी।

3.3.1 जी आर/ए जी आर के लिये ब्याज आय पर विचार न करना

2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा दिये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि बी ए एल की वर्ष 2006–07 व 2007–08 में जी आर/ए जी आर के लिये लेखा पुस्तकों में लेखित ब्याज आय आंशिक रूप से ली गई थी, लेकिन वर्ष 2008–09 व 2009–10 में बिल्कुल भी नहीं ली गई। खातों में ब्याज आय की राशि ₹ 340.70 करोड़ थी, इसमें से केवल ₹ 1.61 करोड़ पर जी आर/ए जी आर के लिये 2006–07 से 2009–10 में विचार किया गया था। परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर के प्रयोजन हेतु ₹ 339.13 करोड़ की ब्याज आय पर कोई विचार नहीं किया गया था। व्यवसायिक यूनिट/लाइसेंसवार ब्यौरा **अनुलग्नक 3.13** में दिया गया है।

उसी प्रकार, बी एच एल की लेखापुस्तकों में लेखांकित ब्याज आय वर्ष 2006–07 में जी आर/ए जी आर के लिये पूरी तरह शामिल की गई थी तथा 2007–08 में आंशिक रूप से शामिल की गई थी, लेकिन वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में बिल्कुल भी शामिल नहीं की गई। वर्ष 2007–08 में हिसाब में ली गई ₹ 2.37 करोड़ की कुल ब्याज आय में से ₹ 1.74 करोड़ जी आर/ए जी आर के लिये मानी गई थी तथा ₹ 0.63 करोड़ पर विचार नहीं किया गया था। वर्ष 2008–09 और 2009–10 में अर्जित आय की राशि ₹ 1.23 करोड़ और ₹ 3.96 करोड़ को जी आर/ए जी आर के लिये नहीं लिया गया था।

बी एच एल प्रबंधन ने बताया कि:

- कॉरपोरेट ट्रायल बैलेंस के अन्तर्गत लेखांकित ब्याज आय पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि यह दूरसंचार प्रचालन से सम्बन्धित नहीं था। यह भी बताया गया कि कॉरपोरेट ट्रायल बैलेंस में लेखांकित ब्याज अधिशेष निधि/उधार ली गई निधि के परिनियोजन से अर्जित किया गया था और गैर दूरसंचार राजस्व होने से इसे ए जी आर से अलग रखने की आवश्यकता है।
- यह भी बताया गया कि कभी–कभी कैपेक्स के लिये उधार ली गई निधि निवेशित की जाती है तथा ब्याज अर्जित किया जाता है और उधार पर भुगतान योग्य/भुगतान किए गए ब्याज से यह ब्याज हमेशा कम रहता है। अतः राजस्व हिस्सेदारी उगाहने के लिये ए जी आर में समावेशन हेतु कोई ब्याज आय नहीं बचती है।
- टीडीसैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 के अनुसार यू ए एस एल/एन एल डी/आई पी/आई एल डी/आई एस पी/ वी सैट के ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत लेखंकित ब्याज को ए जी आर में नहीं लिया जा सकता है।

ए जी आर ब्याज आय के समावेशन नही करने हेतु बी ए एल/बी एच एल प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

- लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस करार में जी आर की परिभाषा में राजस्व हिस्सेदारी के परिकलन हेतु जी आर/ए जी आर में ब्याज आय के समावेशन हेतु स्पष्ट रूप से कहा गया है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्तूबर 2011 के निर्णय के बाद दिनांक 30 अगस्त

2007 का टीडीसैट का निर्णय प्रभावहीन हो गया था।

इस प्रकार 2006–07 से 2009–10 की अवधि में सम्बन्धित ब्याज आय को शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 344.95 करोड़ कम दर्शाया गया। जी आर/ए जी आर में ब्याज आय शामिल न करने के कारण एल एफ व एस यू सी का कम भुगतान क्रमशः ₹ 28.51 करोड़ तथा ₹ 11.80 करोड़ था **(अनुलग्नक 3.13)**।

3.3.2 बी ए एल की सहायक कम्पनी को ब्याज मुक्त लोन के कारण एल एफ/एस यू सी के भुगतान से बचना

लेखा परीक्षा ने देखा कि बी ए एल ने मेसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड (बी टी एल) जो कि बी ए एल की 95 प्रतिशत सहायक कम्पनी है, को 2009–10 में ब्याज मुक्त प्रतिभूति रहित लोन ₹ 1487.95 करोड़ दिया। प्रदान किया गया ब्याज मुक्त प्रतिभूति रहित लोन 1956 के कम्पनी के प्रावधानों के विरूद्ध था और मुख्य कम्पनी और सहायक कम्पनी के बीच बनाए गए ''आर्म्स लेंथ'' संबंध के अनुसार नहीं था।

परिणामतः बी ए एल का राजस्व बी टी एल से प्राप्त ब्याज की राशि तक कम हुआ और अंततः उस पर एल एफ और एस यू सी का भारत सरकार को इस हद तक कम भुगतान हुआ। चूँकि कर्ज दिए जाने की तारीख तथा कितने समय तक यह ब्याज रहित कर्ज रहा, की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, एल एफ तथा एस यू सी के कम भुगतान की गणना नही की जा सकी।

3.3.3 मैसर्स बी ए एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के लिये जी आर/ए जी आर में निवेश की बिक्री पर लाभ को शामिल नही किया जाना

यू ए एस एल करार के खंड 20.4 में संदर्भित परिशिष्ट II के अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व व एल एफ (ए जी आर विवरण) के विवरण का फॉर्मेट लाइसेंस करार का अभिन्न भाग है। विवरण में मद 4 को ''निवेश से आय' दर्शाने के लिये निर्धारित किया गया है।

2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये बी ए एल/ बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा/रिकार्ड की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में निवेश से आय के कारण सकल आय क्रमशः ₹ 34.14 करोड़, ₹ 57.75 करोड़, ₹ 235.48 करोड़ तथा ₹ 183.82 करोड़ थी **(अनुलग्नक 3.14)**। जी आर/ए जी आर में, उपरोक्त आय को राजस्व शेयर के परिकलन के लिये शामिल नहीं किया गया था।

बी ए एल प्रबन्धन ने बताया कि 30 अगस्त 2007 के टीडीसैट के निर्णय के अनुसार कॉरपोरेट ट्रायल बैलेंस के अन्तर्गत लेखांकित निवेश से आय को ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था। आगे यह भी बताया गया कि यह कॉरपोरेट आय कोषागार कार्य से कमायी गई थी जो कि लाइसेंस युक्त कार्यकलाप से एक पृथक व विशेष कार्य है, तथा यह आय एक गैर लाइसेंस युक्त कार्यकलाप/गैर प्रचालनात्मक आय है। अतः इस प्रकार की कॉरपोरेट आय को जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

जी आर हेतु निवेश से आय के गैर समावेशन के लिये मैसर्स बी ए एल प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्तूबर 2011 के निर्णय के बाद टी डी सैट का 30 अगस्त 2007 का निर्णय रद्द हो गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का मत है कि राजस्व शेयर के

परिकलन के लिये जी आर/ए जी आर में निवेश से आय के समावेशन हेतु लाइसेंस करार में प्रावधान है।

इस प्रकार 2006–07 से 2009–10 तक की अवधि से संबंधित निवेश की आय को समावेश न करने के कारण सकल राजस्व/समायोजित सकल राजस्व ₹ 511.19 करोड़ कम रहा। समायोजित सकल राजस्व/सकल राजस्व में निवेश से प्राप्त आय को शामिल नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 42.45 करोड़ तथा ₹ 17.45 करोड़ का कम भुगतान हुआ। **(अनुलग्नक 3.14)**

3.3.4 लाभांश के भुगतान के अलग–अलग मानक

जैसा कि पैराग्राफ 1.4 में (अ) में उल्लिखित है, जी आर में लाभांश के साथ–साथ वहाँ बताये गये अन्य राजस्व शामिल होंगें। इस प्रकार राजस्व शेयरिंग के उद्देश्य से निवेश (लाभांश) से प्राप्त राजस्व सम्मिलित होगा। मेसर्स बी ए एल के 2006–07 से 2009–10 की अवधि के वार्षिक लेखों का विश्लेषण दर्शाता है कि मैसर्स बी ए एल का इसकी सहायक, ज्वाइन्ट वेन्चर, एसोसियट, सहायक के सहायक व अन्य कम्पनियों में इक्विटी शेयर के रूप में निवेश **(अनुलग्नक 3.15)** वर्ष 2006–07 में ₹ 580.24 करोड़ से 19 गुना से अधिक बढकर वर्ष 2009–10 में ₹ 11153.51 करोड़ **(अनुलग्नक 3.16)** हो गया था।

बी ए एल अपने अधिकांश सहायक कंपनियों, ज्वाईंट वेंचर, एसोसियेट, सहायक के सहायक तथा अन्य कंपनियों में अधिकांश शेयर का मालिक था, फिर भी इस अवधि के दौरान इस निवेश के बदले में लाभांश के रूप में या अन्य किसी रूप में बी ए एल को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ जबकि वास्तविक रूप से कम्पनियों का 2006–07 व 2009–10 के मध्य कर के बाद कुल लाभ इन चार वर्षों में क्रमशः ₹ 157.04 करोड़, ₹ 415.64 करोड़, ₹ 905.44 करोड़ तथा ₹ 893.68 करोड़ था।**(अनुलग्नक 3.17)**

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि बी ए एल ने स्वयं के लिए तथा दूसरे बिना लाइसेंस की कंपनियों जहॉ कि इसका निवेश था या अधिकांश शेयर थे, के लिए लाभांश घोषणा के अलग–अलग मानक अपनाया था। जबकि बी ए एल ने 2008–09 व 2009–10 के लिए शेयरों के फेस वेल्यू का 20 प्रतिशत लाभांश घोषित किया था, उसके सहायक कंपनियों जवाईट वेंचर एसोसिऐट तथा अन्य कंपनियों, जहॉ बी ए एल की अधिकांश शेयर होल्डिंग थी, ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया था। जबकि बी ए एल द्वारा भुगतान किया गया लाभांश एक व्यय था तथा उस पर एल एफ व एस यू सी देय नहीं था, उन कंपनियों जिनमें इसका निवेश था से इसे प्राप्त लाभांश पर लाइसेंस करार के तहत एल एफ व एस यू सी देय होता।

इस प्रकार सहायक, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट तथा अन्य कंपनियों जहॉ कि बी ए एल का निवेश था के द्वारा लाभांश की घोषणा नहीं करना बी ए एल के स्वयं के लाभांश घोषणा की प्रक्रिया के अनुसार नहीं था जिससे बी ए एल का राजस्व कम दर्शाया गया तथा एल एफ व एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

3.3.5 ग्लोबल आपरेशन (वी आई एल जी ओ) के अन्तर्गत लेखित राजस्व पर एल एफ नही देना

बी ए एल ने बी आई एल जी ओ (बिलगो) के ब्रांड नाम से यू एस ए में अपनी शाखा स्थापित की थी जो कि ट्रैफिक के केंद्र वाहक एवं बी ए एल (आइ एल डी डिविजन) व पूरे विश्व में स्थित विभिन्न विदेशी ऑपरेटरों के मध्य द्विपक्षीय अनुबंध से पैदा होने वाले ट्रैफिक की अदला–बदली करता था। बी ए एल ने बिलगो से संबंधित आय/व्यय को दर्ज करने के लिये अलग खाते रखे हैं। बिलगो द्वारा किये गये परिचालन का विवरण व दोनों सेगमेंटस (बिलगो व बी ए एल–आइ एल डी) द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया

इस प्रकार हैः–

(अ) यू एस ए से उत्पन्न होने वाले कॉल ट्रैफिक के लिएः– बिलगो स्विच दूसरे ऑपरेटरों से बाहर जाने वाले ट्रैफिक को विश्व में कहीं भी पहुँचाने के लिये बी ए एल – आई एल डी के नेटवर्क को हस्तांतरित करेगा। इस सेवा के लिये, विदेशी दूरसंचार प्रचालकों को जारी किये गये बिल की राशि का 5 प्रतिशत बिलगो अपने पास रखेगा व 95 प्रतिशत बी ए एल– आई एल डी को हस्तांतरित करेगा।

(ब) यू एस ए में पहुँचने वाले कॉल ट्रैफिक के लिये– बिलगो स्वीच बी ए एल – आइ एल डी से प्राप्त कॉल ट्रैफिक को हैंडल करेगा एवं इसे यू एस ए में दूसरे ऑपरेटरों को हस्तांतरित करेगा। इस सेवा के लिये, बिलगो फॉरेन टर्मिनिटिंग ऑपरेटरों को देय राशि का 105 प्रतिशत की दर से बी ए एल–आई एल डी से चार्ज करेगा और यह पांच प्रतिशत रखेगा।

तथापि यह पाया गया था कि वर्ष 2006–07 व 2007–08 के दौरान यह मार्जिन केवल 2.87 प्रतिशत व 4.03 प्रतिशत था। विलगो के खाते में दर्ज राजस्व व एक्सेस प्रभार की राशि निम्न है

तालिका 3.6

₹ करोड़ में

वर्ष	कुल राजस्व	कुल एक्सेस प्रभार	एक्सेस प्रभार से अधिक राजस्व (मार्जिन)	मार्जिन (प्रतिशत में) ग के संदर्भ में घ की प्रतिशतता
क	ख	ग	घ	(e)
2006-07	285.48	277.51	7.97	2.87
2007-08	340.73	327.53	13.20	4.03
2008-09	230.10	218.76	11.34	5.18
2009-10	312.62	297.23	15.39	5.18
Total	**1168.93**	**1121.03**	**47.90**	**4.27**

एक्सेस प्रभार से अधिक राशि ₹ 47.90 करोड़ जी आर/ए जी आर के लिये नहीं ली गई।

बी ए एल प्रबंधन ने बताया कि–

- बिलगो विदेशी भूमि (यू ए एस) पर गेट वे स्टेशन (पी ओ पी) के रूप में प्रचालित हो रहा था जिसके लिये लाइसेंस/अनुमति यू एस ए प्राधिकारियों से प्राप्त की गयी थी, न कि भारतीय प्राधिकारियों से और यू एस कर व नियामक के परिपेक्ष्य में इसकी एक अलग पहचान थी एवं
- बिलगो द्वारा रखी गयी पॉच प्रतिशत राशि यू एस ए के कर व नियामक विधि के अनुसार कर योग्य थी। अतः राजस्व व एक्सेस प्रभार जो कि बिलगो के खातों में लेखित थे, लाइसेंस फीस के लिये सकल राजस्व/समायोजित सकल राजस्व हेतु नहीं लिये जाने चाहिये।

बी ए एल प्रबंधन का दावा तर्कसंगत नहीं था क्योंकिः–

- बिलगो की स्थापना बी ए एल द्वारा केवल एक तकनीकी व्यवस्था थी जिससे वह अपने आई एल डी ट्रैफिक को प्रबंधित कर सके एवं बी ए एल को आई एल डी लाइसेंस भारतीय प्राधिकारियों से

प्रदान किया गया था। बिलगो के नाम से बी ए एल सेवायें प्रदान कर रहा है एवं बिलगो कानूनी रूप से कोई अलग इकाई नहीं है। बिलगो के खातों में दर्ज लेन–देन भी बी ए एल–आई एल डी नेटवर्क के टेलीफोन ट्रैफिक के ही भाग हैं और यह बी ए एल के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित है। पुनः, जी आर की परिभाषा के अनुसार सकल राजस्व में खर्चों से संबंधित आइटम के लिये किसी सेट ऑफ के बिना लाईसेंसी को अर्जित पूर्ण राजस्व शामिल है। इसलिये बिलगो का राजस्व जी आर में शामिल होना चाहिए।

- लेखापरीक्षा का इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बिलगो द्वारा रखा गया पांच प्रतिशत यू एस ए के कर व नियामक विधि के अनुसार कर योग्य था, परन्तु तर्क यह है कि चूंकि यह बी ए एल की आय का भाग था, इसे आई एल डी लाइसेंस के अंतर्गत शेयर करने योग्य राजस्व का भाग होना चाहिए।

तद्नुसार मैसर्स बी ए एल के आई एल डी का ए जी आर ₹ 47.90 करोड़ (वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 के लिये क्रमशः ₹ 7.97 करोड़ ₹ 13.20 करोड़, ₹ 11.34 करोड़ एवं ₹ 15.39 करोड़) कम बतायी थी जिसे बी ए एल के आई एल डी लाइसेंस के लिए लाइसेंस फीस की गणना हेतु ए जी आर में वापिस जोड़ना चाहिए। बिलगो के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण ₹ 2.87 करोड़ (वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में क्रमशः ₹ 0.48 करोड़, ₹ 0.79 करोड़, ₹ 0.68 करोड़ एवं ₹ 0.92 करोड़) लाइसेंस फीस (आई एल डी) का कम भुगतान हुआ।

3.3.6 पूर्व एस बी ई एल के राजस्व को विचार में नहीं लेना।

सेटकॉम ब्राडबैंड इक्विपमेंट लिमिटेड (एस बी ई एल) 1 अक्तूबर 2005 के पहले मैसर्स बी ए एल की सहायक कम्पनी थी। एस बी ई एल वीसेट हार्डवेयर बेचने का कारोबार करती थी। एस बी ई एल का 27 जुलाई 2007 में प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार बी ए एल में 1 अक्तूबर 2005 को विलय हो गया था। यद्यपि एस बी ई एल का बी ए एल में विलय हो गया था, बी ए एल ने पूर्व एस बी ई एल के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन से संबंधित लेखा लेन–देन के लिये अलग ट्रायल बैलेंस बनाया। इन ट्रायल बैलेंसों के तहत दर्ज कुल राजस्व राशि ₹ 116.24 करोड़ 2006–07 से 2009–10 की अवधि के दौरान किसी लाइसेंस के अन्तर्गत सिवाय 2008–09 के जिसमें सेवा राजस्व ₹ 0.18 करोड़ वी–सेट के जी आर में लिया गया था, जी आर/ए जी आर के लिये विचार में नहीं लिये गये थे।

बी ए एल प्रबंधन ने बताया कि एस बी ई एल एक अलग कानूनी सत्ता के रूप में निगमित हुई थी एवं बी ए एल में विलय से पूर्व निम्न कार्यों में लगी थी–

(i) टेलीफोन उपकरणों में व्यापार

(ii) संसार भर मे वी–सैट उपकरणों में व्यापार एवं

(iii) वी–सैट स्थापना के लिये टर्न–की परियोजना

यह मुख्यतः व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं जो कि टेलीकॉम लाइसेंस के अधीन नहीं हैं। विलय के बाद बी ए एल के खाते में सेटकॉम द्वारा की गई गतिविधियॉ शामिल थी जिनके लिये अलग से लेखे रखे गए थे। पुनः सेटकॉम द्वारा की जा रही गतिविधियां उस टेलीकॉम सेवा से संबंधित नहीं है जो कि मैसर्स बी ए एल इकाई द्वारा प्रदान की जाती है। मैसर्स बी ए एल के अतर्गत आने के बाद भी सेटकाम

द्वारा वही गतिविधियां जारी हैं जो कि विलय के पहले की जा रही थी। आगे प्रबंधन ने बताया कि विलय से कंपनी की संरचना में परिवर्तन हुआ था किन्तु किये जा रहे लेन–देन की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक गतिविधि जो नॉन लाइसेंस गतिविधि थी विलय के बाद टेलीकाम सेवा नहीं हो सकती। इस प्रकार सिर्फ इसलिए कि दो कम्पनियों का विलय हो गया है, नॉन टेलीकॉम गतिविधियॉं एल एफ के लिए टेलीकॉम गतिविधियों में शामिल नहीं होगी। विलय के बाद इसका कारोबार (जो की नॉन–टेलीकॉम प्रकृति का है) बी ए एल द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार सेट–काम द्वारा की जा रही इन गतिविधियों/लेन–देन पर एल एफ भुगतान के लिये कम्पनी का उत्तर दायित्व नहीं है।

प्रबंधन का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एस बी ई एल 1 अक्टूबर 2005 के पहले एक अलग कम्पनी थी तथा उसने अपनी गतिविधियों के लिए जो मुख्य रूप से वीसैट उपस्कर के लेन–देन में थी, भारत सरकार से कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था। इसका 1 अक्टूबर 2005 से बी ए एल में विलय हो गया था एवं इसके लेखों में दर्ज लेन–देन दर्शाते है कि लिया गया राजस्व दूरसंचार सेवाओं (वैंडविथ प्रभार, आई आर यू प्रभार, स्थापना प्रभार, डाटा सेवा उपस्कर किराया आदि) के साथ साथ विदेशी/घरेलू टेलीकॉम कम्पनियों को हार्डवेयर की बिक्री से संबंधित था। यह राजस्व बी ए एल के राजस्व का भाग था तथा जी आर की परिभाषा के अनुसार सकल राजस्व में खर्चों से संबंधित आइटम के लिये किसी सेट आफ के बिना लाइसेंसी को अर्जित पूर्ण राजस्व शामिल होगा। तदनुसार पूर्व एस बी ई एल के खातों में दर्ज वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 का राजस्व ₹ 20.85 करोड़, ₹ 36.04 करोड़ ₹ 22.70 करोड़ (जिसमें से ₹ 0.18 करोड़ पहले से लिया गया था) एवं ₹ 36.65 करोड़, को जी आर में शामिल होना चाहिये। पूर्व एस बी ई एल के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में क्रमशः ₹ 1.25 करोड़, ₹ 2.16 करोड़, ₹ 1.35 करोड़ एवं ₹ 2.20 करोड़ एल एफ (वी एस ए टी) का कम भुगतान हुआ।

3.3.7 बी ए एल द्वारा आधारभूत संरचना प्रदाता (आई पी)–1 सेवाओं के तहत दर्ज राजस्व को राजस्व शेयर की गणना के लिये विचार नही करना

मैसर्स बी ए एल ने आधारभूत संरचना सेवाये प्रदान करने के लिय दूरसंचार विभाग (अक्टूबर 2000 एव फरवरी 2001)[7] से आधारभूत संरचना प्रदाता (आई पी)–1 के दो पंजीयन प्राप्त किये थे। आई पी–। रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत टेलीकॉम लाइसेंसी को डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस व लीज पर/किराये पर/बिक्री के आधार पर टावर जैसी सम्पत्तियां प्रदान करने का कारोबार शामिल था। तथापि आई पी–1 सेवाओं के लेन–देन को दर्ज करने के लिये बी ए एल ने अलग से खाते रखे थे। आई पी–1 के तहत दर्ज राजस्व में सेवा राजस्व, ब्याज से आय व अन्य आय जो कि बी ए एल के लाभ हानि खातों में दर्ज थी, शामिल थे। पुनः 2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये आई पी–1 सेवाओं से संबंधित सेवा राजस्व (₹ 435.73 करोड़) में बी ए एल के एन एल डी डिविजन का (₹ 221.40 करोड़), आई एस पी डिविजन का (₹ 9.13 करोड़) एवं दूसरे ऑपरेटरों का (₹ 205.20 करोड़) राजस्व शामिल था।

7 मूल पंजीकरण भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) तथा भारती टेलीनेट लिमिटेड (बी टी एल) के पक्ष में थे। भारती टेलीसोनिक लिमिटेड तथा भारती टेलीनेट लिमिटेड का बी ए एल {पूर्व में भारती टेलीवेंचर लिमिटेड (बी टी वी एल)} में विलय हो गया।

तथापि आई पी–1 ट्रायल बैलेन्स के तहत लेखित पूरा राजस्व लाइसेंस फीस के लिए ए जी आर में शामिल नहीं था, बावजूद इसके कि यह राजस्व बी ए एल के राजस्व का भाग था एवं जी आर की परिभाषा के अनुसार इसमें खर्चे से संबंधित आइटम के लिये किसी सेट आफ के बगैर लाइसेंसी को अर्जित पूर्ण राजस्व शामिल होगा।

बी ए एल के प्रबंधन ने बताया कि आई पी–1 पंजीयन का लाइसेंसी अनुबंध व उसके अन्तर्गत की गई गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था। आई पी 1 पंजीयन भारत में निगमित किसी कम्पनी को निष्क्रिय आध. ारभूत संरचना लगाने व दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रदान करने का अधिकार देता है एवं वर्तमान नीति के अनुसार आई पी 1 रजिस्ट्रेशन रखने वाली कम्पनी पर कोई लाइसेंस फीस नहीं लगेगी। इन सेवाओं से अर्जित आय को अलग से लेखित किया गया था जिसके लिये कम्पनी ने यहां पर अलग से ट्रायल बैलेंस बनाया है जिससे दूसरी लाइसेंस युक्त आय से इसे अलग रखा जा सके।

लेखापरीक्षा स्वीकार करता है कि आई पी 1 में शामिल एन एल डी डिविजन के राजस्व पर एल एफ देय नहीं है, परन्तु आई एस पी डिविजन व अन्य सचालकों से आय राजस्व शेयरिंग हेतु ली जानी चाहिए। तद्नुसार ₹ 214.33 करोड़ (वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 के लिये क्रमशः ₹ 47.03 करोड़, ₹ 54.01 करोड़, ₹ 65.26 करोड़ व ₹ 48.03 करोड़) एल एफ की गणना के लिये ए जी आर में शामिल होना चाहिये। आई पी–1 राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण ₹ 12.86 करोड़ (वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में क्रमशः ₹ 2.82 करोड़, ₹ 3.24 करोड़, ₹ 3.92 करोड़, व ₹ 2.88 करोड़) एल एफ (एन एल डी) का कम भुगतान हुआ।

3.3.8 बी ए एल द्वारा एल एफ/एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर के लिये विविध आय पर विचार नहीं किया जाना

बी ए एल की अन्य आय की सूची जो लाभ हानि खाते का भाग थी के अनुसार वर्ष 2006–07, 2008–09, एवं 2009–10 के लिये विविध आय क्रमशः ₹ 79.87 करोड़, ₹ 200.61 करोड़, ₹ 87.08 करोड़ एवं ₹ 45.28 करोड़ थी। सेवा क्षेत्र वार विविध आय का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक 3.18** में दिया गया है। लेखा परीक्षा को दिए गये ए जी आर विवरणों/ट्रायल बैलेंस/मिलान विवरण की तुलना करने पर यह पाया गया कि विविध आय की राशि ₹ 96.19 करोड़ राजस्व शेयर की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में सम्मिलित नहीं की गई थी।

बी ए एल के प्रबंधन ने बताया किः–

- बीमा दावा, नोटिस पे, यू ए एस एल व एन एल डी/आई एल डी/आई एस पी/वी एस ए टी/करपोरेट सेगमेंट में से रद्दी की बिक्री से प्राप्त विविध आय जी आर/ए जी आर में टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय के आधार पर सम्मिलित नहीं की गयी थी।
- यह आमदनी नॉन लाइसेंसी गतिविधियों से है।
- यू ए एल एल सेगमेंट की वित्तीय वर्ष 2006–07 की विविध/अन्य आय (बीमा दावा) पर एल एफ देय नहीं था क्योंकि यह पूंजीगत प्राप्ति थी एवं यह सामान्य कारोबार में राजस्व नहीं माना जाता।
- आई एस पी एवं वी एस ए टी सेगमेंट की 2006–07 की ₹ 2.37 करोड़ की विविध आय रिटेन बैक प्रकृति की देनदारी थी।

प्रबंधन के जबाव में लेखापरीक्षा की मत इस प्रकार हैः—

- बीमा दावा से प्राप्त आय को छोड़कर विविध आय पर लेखापरीक्षा द्वारा विचार किया गया है तथा इसे ₹ 140.21 करोड़ से संशोधित कर ₹ 96.19 करोड़ कर दिया गया है।
- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय (अक्टूबर 2011) ने टीडीसैट के अगस्त 2007 के निर्णय को रद्द कर दिया था।
- प्रबंधन का तर्क कि यह विविध आय नॉन–लाइसेंसी गतिविधियों की थी, इसलिये ए जी आर में सम्मिलित होने योग्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जी आर की परिभाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि राजस्व शेयर की गणना के लिये विविध आय जी आर में सम्मिलित होनी चाहिए।
- आई एस पी व वी एस ए टी से संबंधित वित्तीय वर्ष 2006–07 के ट्रायल बैलेंस में विविध आय ₹ 2.37 करोड़ दर्ज की गई थी, जबकि रिटेन बैक देनदारी की प्रकृति की राशि को अलग लेखे में दर्ज किया गया था। अतः इसे रिटेन बैक देनदारी की प्रकृति का होना नहीं कहा जा सकता हैं।

इस प्रकार उपर बतायी गयी विविध आय की राशि ₹ 96.19 करोड़ जो कि संबंधित ए जी आर में शामिल नहीं की गयी, को लाइसेंस फीस/स्पेक्ट्रम प्रभारों की गणना हेतु ए जी आर में सम्मिलित होना चाहिए। जी आर/ए जी आर में विविध आय शामिल नहीं करने के कारण एल एफ/एस यू सी का क्रमशः ₹ 6.94 करोड़ व ₹ 1.74 करोड़ **(अनुलग्नक 3.18)** का कम भुगतान हुआ।

3.3.9 मैसर्स बी ए एल द्वारा अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ की आय को राजस्व शेयर के भुगतान हेतु ए जी आर में शामिल नहीं करना।

बी ए एल/बी एच एल के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये दिये गये डेटा/अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ''अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ'' से राजस्व वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 और 2009–10 के लिये क्रमशः ₹ 8.75 करोड़, ₹ 12.04 करोड़, ₹ 7.24 करोड़ और ₹ 1.92 करोड़ थे।

ए जी आर विवरण से यह पाया गया कि स्थिर परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ की राशि को वर्ष 2006–07 में ए जी आर की गणना के लिये लिया गया था परंतु इस तरह की ₹ 21.20 करोड़ की आय को बाद के तीन वर्षों 2007–10 के लिये नहीं लिया गया था।

बी ए एल के प्रबंधन ने बताया कि–

- टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ के राजस्व को ए.जी.आर के लिये नहीं लिया गया था।
- यह राजस्व, पूंजी प्रकृति का राजस्व था और यह लाइसेंस गतिविधियों से प्राप्त नहीं था। इसलिये इसको ए जी आर में एल एफ की गणना के लिये शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

बी ए एल प्रबंधन का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि

- माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से टी.डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय प्रभावहीन हो गया था।

- लाइसेंस अनुबंध, लाइसेंस गतिविधि और गैर लाइसेंस गतिविधि के बीच भेद नहीं करता। सकल राजस्व की परिभाषा के अनुसार सकल राजस्व में लाइसेंसी को प्राप्त सभी आय बिना संबंधित व्यय मद को घटाये शामिल है तथा कंपनी ने भी इसे द्वारा वर्ष 2006–07 के ए जी आर में शामिल किया था। इस प्रकार कंपनी के खातों में लेखांकित अचल सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त आय ₹ 21.20 करोड़ को कम्पनी द्वारा भारत सरकार को देय राजस्व शेयर की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए।

अचल परिसंपत्ति के बिक्री पर लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं करने से एल एफ और एस.यू.सी. का कम भुगतान क्रमशः ₹ 1.91 करोड़ और ₹ 0.83 करोड़ हुआ। **(अनुलग्नक 3.19)**

3.4 अन्य मुद्दों के कारण राजस्व शेयर का कम/गैर भुगतान

3.4.1 बी ए एल/बी एच एल द्वारा ए जी आर को प्राप्त करने के लिये जी आर से बट्टे खाते में डाले गये बैड डेब्टस की अनियमित कटौती करना

बी ए एल/बी एच एल द्वारा 2006–07 से 2009–10 में प्रदान किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा यह बताती है कि ए जी आर की गणना के लिये यू.ए.एस.एल सेगमेंट में वर्ष 2006–2007 में लेखांकित बट्टे खाते में डाले गई बेड डेब्टस की राशि ₹ 105.51 करोड़ की सकल राजस्व में से कटौती नहीं की गई। परन्तु वर्ष 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में यू.ए.एस.एल सेगमेंट में बट्टे खाते में डाले गए बैड डेब्टस की राशि क्रमशः ₹ 181.13 करोड़, ₹ 63.18 करोड़ और ₹ 41.13 करोड़ की ए.जी.आर की गणना के लिए कटौती की गई।

इसी तरह बी.एच.एल की टी.बी. और ए जी आर विवरणों के अनुसार यह पाया गया कि जी आर से 2006–07 और 2007–08 में बट्टे खाते में डाली गई बेड डेब्टस की किसी राशि की कटौती नहीं की गई। तथापि वर्ष 2008–09 और 2009–10 में ए जी आर की गणना के लिये यू.ए.एस.एल/सी.एम.टी.एस सेगमेंट लेखांकित बट्टे खाते में डाली गई बैड डेब्टस की राशि ₹ 2.25 करोड़ और ₹ 0.03 करोड़ की कटौती की गई थी।

प्रबंधन ने बताया किः–

- टी डी सैट के 30 अगस्त 2007 के फैसले के अनुसार बट्टे खाने में डाली गई बेड डेब्टस की राशि की जी आर से कटौती की गई।
- बैड डेब्टस कंपनी द्वारा वसूल नहीं किया गया राजस्व था और ए.एस–9 के अनुसार राजस्व में अपने लेखाओं में इकाई द्वारा प्राप्त किया और प्राप्य आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह शामिल होता है।
- जब विशेष प्राप्य बैड डेब्ट माना जाता है और वसूली योग्य नहीं है, इस तरह के एक विशेष अवधि के दौरान के बैड डेब्ट्स को जी आर से आवश्यक रूप से घटाना होता है।

प्रबंधन के तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि :–

- माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के फैसले के बाद टी.डी. सैट का फैसला

दिनांक 30 अगस्त 2007 प्रभावहीन हो गया।

- लेखापरीक्षा ने कंपनी के लेखांकन ए एस 9 के अनुरूप लेखाकंन पर प्रश्न नहीं उठाया है। परन्तु तर्क यह है कि राजस्व की राशि जो वसूली योग्य नहीं है, बैड डेब्टस होती है तथा यह लाभ–हानि खाते में प्रशासनिक और अन्य खर्चों के हिस्से के रूप में रहती है।
- ए जी आर की गणना हेतु जी आर से बैड डेब्ट को घटाना लाइसेंस अनुबंध में अनुमत नहीं था। लाइसेंसी ने स्वयं भी 2006–07 एवं 2007–08 में ए जी आर की गणना के लिये जी आर से बट्टे खाते में डाले गये बेड डेब्टस की कटौती नहीं की थी।

इस प्रकार यू ए एस एल/सी एम टी एस सेगमेंट में बट्टे खाते में डाली गई बेड डेब्टस की राशि ₹ 287.72 करोड़ को दूर संचार विभाग को कंपनी द्वारा देय राजस्व शेयर की गणना करने के लिये ए जी आर में वापिस जोड़ी जानी चाहिये। ए जी आर में पहुंचने के लिये जी आर से बैड डेब्टस की कटौती के कारण एल एफ और एस यू सी में कम भुगतान क्रमशः ₹ 25.55 करोड़ और ₹ 11.44 करोड़ था **(अनुलग्नक 3.20)**

3.4.2 2006–2007 में लीज्ड लाईन प्रभार के लिए पी एस टी एन की कटौती का दावा किया गया।

बी ए एल/बी एच एल द्वारा 2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिए प्रस्तुत किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा यह बताती है कि बी ए एल/बी एच एल के यू ए एस एल परिमंडलों (मोबाईल और फिक्सड सर्विस) द्वारा बी ए एल के एन एल डी डिवीजन को देय लीज्ड लाईन प्रभार, का वर्ष 2006–07 में पी एस टी एन कटौती के अंतर्गत ₹ 327.09 करोड़ दावा किया गया। एल एस ए के अनुसार जानकारी **अनुलग्नक 3.21** में दिया गया है।

प्रबंधन ने बताया कि ट्राई के इंटरकनेक्ट उपयोग प्रभार विनियमन (छठा संशोधन) (फरवरी 2006) के अनुसार टी एस पी को स्वतंत्रता है कि एन एल डी ओ के देय वाहक प्रभार तय करें और इसलिये वे फोरवीयरेंस के तहत है। ट्राई ने सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति से एन एल डी के द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न सेवा तत्वों जिनमें ट्रैफिक मिनट और अतः संयोजन बिन्दु बनाने के संबंध में कुछ स्थिर/न्युनतम प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं, के आधार पर दरें प्रभारित करने की स्वतंत्रता दी हैं। यह भी बताया गया कि उपरोक्त लेन–देन निम्नतम प्रतिबद्वता प्रकार की प्रकृति के थे, जो मिनिट आधारित वाहक प्रभार और अन्तः संयोजन बिन्दु को स्थापित करने पर प्रभार के कारण हो सकते हैं।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यू ए एस एल अनुबंध (अनुच्छेद 19.2) और दू वि (डी ओ टी) द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ए जी आर की गणना हेतु जी आर से लीज्ड लाईन प्रभार की कटौती नहीं होनी थी। पुनः ट्राई अन्तः संयोजन उपयोग प्रभार विनियमन (छठा संशोधन) बताता है कि भारत के अंदर लंबी दूरी के कॉल के लिये प्रति मिनिट वाहक प्रभार सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी अनुबंध के अनुसार दूरी की परवाह किए बगैर ₹ 0.65 प्रति मिनिट सीमा के अधीन होगा। यह स्पष्ट है कि यह कोई स्थिर/निम्नतम प्रतिबद्वता प्रभार निर्धारित नहीं करता बल्कि केवल मिनिट आधारित प्रभार निर्धारित करता है जिसे ऊपर दर्शाये गये लीज्ड लाईन प्रभार के अतिरिक्त एन एल डी को देय आई यू सी कटौती के रूप में दावा किया गया। स्वयं बी ए एल/बी एच एल ने भी इस तरह की कटौती के दावे

को वर्ष 2007–08 के आगे बंद कर दिया था।

लीज्ड लाईन प्रभार को पी एस टी एन कटौती में सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2006–07 के लिये बी ए एल/बी एच एल का ए जी आर ₹ 327.09 करोड़ कम दर्शाया गया। जिसके कारण वर्ष 2006–07 में एल एफ और एस यू सी का बी ए एल के सम्बन्ध में क्रमशः ₹ 26.47 करोड़ और ₹ 11.71 करोड़ एवंम बी एच एल के सम्बंध में क्रमशः ₹ 1.56 करोड़ और ₹ 0.92 करोड़ का कम भुगतान हुआ। **(अनुलग्नक 3.23)**

3.4.3 एस यू सी के भुगतान हेतु ए जी आर के लिये बैंडविथ की बिक्री/लीज राजस्व को शामिल नहीं करना

यू ए एस एल अनुबंध बताता है कि ''राजस्व शेयर के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के सीमित उद्देश्य के लिये ए जी आर की गणना करते समय वायर लाईन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को शामिल नहीं करना चाहिये'' पुनः, यू ए एस एल अनुबंध के लिये निर्धारित राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण (ए जी आर विवरण) के प्रारूप में:–

- मद 1 अ ''वायरलाइन ग्राहकों से राजस्व'' को दर्शाने के लिये निर्धारित किया गया हैं और
- मद 8 ''बैंडविथ की बिक्री/लीज, लिंक, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजना इत्यादि से राजस्व'' को दर्शाने के लिये निर्धारित किया गया है।

ए जी आर विवरण की समीक्षा करते समय यह देखा गया कि लाइसेंस शुल्क की गणना करने के लिये ''बैंडविथ की बिक्री/लीज, लिंक, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाओं इत्यादि से राजस्व'' राशि ₹ 93.29 करोड़, ₹ 98.67 करोड़, ₹ 188.57 करोड़ और ₹ 92.81 करोड़ क्रमश वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 और 2009–10 में लाइसेंस फीस की गणना के लिए ए जी आर विवरणों में सम्मिलित किये गये थे, परंतु एस यू सी की गणना के लिये नही लिए गए जो कि लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों के विरूद्व है। एल एस ए वार जानकारी **अनुलग्नक 3.22** में दी गई है।

प्रबंधन ने बताया कि उपरोक्त राजस्व वायर लाईन सेवाओं से सम्बंधित था और इसलिये स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के लिये नहीं लिया गया था।

प्रबंधन का तर्क यू एस ए एल अनुबंध के खण्ड 18.3 के अनुसार मान्य नहीं है। स्पेक्ट्रम शुल्क के लिये केवल वायरलाईन अभिदाताओं से राजस्व को छोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसा ऐ जी आर विवरण में उल्लिखित हैं, वायर लाईन अभिदाताओं से राजस्व 1 अ में है तथा बैडविथ से बिक्री/लीज, लिंक, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाओं इत्यादि का राजस्व मद संख्या 8 में है। इस प्रकार बैंडविथ की बिक्री/लीज से राजस्व वायरलाईन अभिदाताओं के राजस्व से भिन्न है। इसलिये स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिये उपरोक्त राजस्व पर भी विचार किया जाना चाहिये।

इस प्रकार बैंडविथ के बिक्री/लीज लिंक इत्यादि से राजस्व राशि ₹ 473.34 करोड़ को एस यू सी की गणना के लिये वापिस जोड़ा जाना चाहिये। परिणामतः कंपनी द्वारा उपरोक्त राजस्व पर एस यू सी राशि ₹ 20.70 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। **(अनुलग्नक 3.22)**

3.5 मैसर्स बी ए एल द्वारा अपनी सहायक कंपनी (बी आई एल) को निरंक कीमत पर दूरसंचार आधारभूत संरचना सम्पत्तियों का हस्तांतरण

मैसर्स भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड (बी आई एल) 30 नवम्बर 2006 को मैसर्स बी ए एल की एक सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ, वायरलेस कम्यूनिकेशन टावर की स्थापना, संचालन व रख–रखाव, नेटवर्क विकास सेवाऐं प्रदान करना एवं भारत में तथा भारत के बाहर वीडियो, वाइस, डेटा और इंटरनेट ट्रांसमिशन का कारोबार करना था। मैसर्स बी आई एल ने रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी से 10 अप्रैल 2007 में कारोबार शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने बी ए एल की वर्ष 2007–08 के वार्षिक प्रतिवेदन से देखा कि मेसर्स बी ए एल और मेसर्स बी आई एल के बीच योजना की व्यवस्था[8] को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा 26 नवम्बर 2007 को स्वीकृति दी गई थी और 31 जनवरी 2008 को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी दिल्ली और गुडगांव में दर्ज की, जो योजना को लागू करने की तारीख थी। योजना के अनुसार 31 जनवरी 2008 से मेसर्स बी ए एल की दूरसंचार आधारभूत संरचना मेसर्स बी आई एल को हस्तांतरित की गई थी व इसमें निहित थी। बी ए एल ने निरंक कीमत पर बी आई एल को ₹ 5739.60 करोड़ कीमत के दूरसंचार आधारभूत अधिसंरचना हस्तांतरित की और बी आई एल द्वारा बी ए एल से प्राप्त परिसम्पत्तियों को 31 मार्च 2008 का उचित मूल्य ₹ 8235.97 करोड़ दर्ज किया गया।

बी ए एल और बी आई एल अलग इकाई थे तथा पुनः बी आई एल बी ए एल[9] की पूर्णतया सहायक कंपनी नहीं थी। अतः परिसंपत्तियों का स्थानांतरण आर्म्स लेंथ का लेन देन नहीं था। चूंकि संपत्ति का बाजार मूल्य बी आई एल के मूल्यांकन के अनुरूप ₹ 8235.97 करोड़ था, बुक वैल्यू तथा बी आई एल द्वारा लेखांकित मूल्य का अंतर (₹ 2496.37 करोड़) संपत्ति के स्थानांतरण पर लाभ था। लाइसेंस करार के तहत संपत्ति के इस स्थानांतरण से प्राप्त लाभ पर लाइसेंस फीस व एस यू सी दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार ₹ 2496.37 करोड़ पर विचार नहीं किए जाने से वर्ष 2007–08 में एल एफ तथा एस यू सी का क्रमशः ₹ 226.40 करोड़ व रू 108.52 करोड़ का कम भुगतान हुआ।**(अनुलग्नक 3.23)**

3.6 एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलों (पैरा 3.2 से 3.5 तक) में एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान/गैर भुगतान की राशि क्रमश :₹ 719.46 करोड़ व ₹ 347.49 करोड़ थी। एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान पर निकाली गई ब्याज की राशि ₹ 1584.94 करोड़ हैं। **(अनुलग्नक 3.24)** ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित की गई दरें जो वित्तीय वर्ष की शुरूआत में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्राइम लेंडिंग रेट से 2 प्रतिशत अधिक थी और विचारित अवधि सम्बंधित वित्तयी वर्ष की समाप्ति से मार्च 2015 तक थी। लाइसेंस करार के अनुसार ब्याज की गणना मासिक आधार पर की गई है।

---

8 कंपनी अधिनियम 1956 अनुच्छेद 391 से 394 के तहत दूरसंचार अवसंरचना को बी ए एल से अी आई एल को हस्तांतरण करने हेतु

9 31मार्च 2008 को बी आई एल में बी ए एल का शेयर सिर्फ 92.89 प्रतिशत था।

3.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग (दू वि) का उत्तर

मेसर्स बी ए एल द्वारा राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा टिप्पणी दू वि को मई 2015 में भेजी गई थी। दू वि ने अपने उत्तर (जनवरी 2016) में बताया कि 2009 में संचालित विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर पी एस पी को 2006–07 एवं 2007–08 के लिए जी आर कम बताने पर मांग 2012 में भेजी गई थी। इसमें डीलरों को कमीशन/छूट जिन्हें राजस्व से नेट ऑफ किया गया था तथा प्रीपेड ग्राहकों को दिया गया मुफ्त एयर टाइम जिसे राजस्व नहीं माना गया था (3.2.1 (क)), अधिसंरचना से प्राप्त आय को राजस्व में पूरी तरह शामिल नहीं करने से जी आर को कम दिखाना (3.2.4), फोरेक्स लाभ से राजस्व/आय को जी आर/ए जी आर में नहीं शामिल करने के कारण राजस्व की अंडर रिपोर्टिंग (3.2.5) ब्याज से आय (3.3.1), निवेश की बिक्री से लाभ (3.3.3), बिल्गो से राजस्व (3.3.5), आई पी 1 सेवाओं से राजस्व (3.3.7), विविध राजस्व (3.3.8), परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ (3.3.9), जी आर से बैड डेब्ट को घटाया जाना (3.4.1), तथा पैसिव अधिसंरचना के क्रमशः हस्तांतरण से लाभ (3.5) पर संबंधित पैरा में उठाए गए मुद्दे शामिल थे। परंतु ऑपरेटर द्वारा मांगों को टी डी सैट/उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है। यह भी बताया गया जैसे ही न्यायालय का अंतिम निर्णय आएगा, कारर्वाई की जाएगी।

इस प्रकार दू वि ने लेखापरीक्षा में उठाए गए मुद्दों को बिना नकारे कहा है कि मांगों की वसूली नहीं हो पाई क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। दू वि द्वारा राजस्व नहीं प्राप्त कर पाना इस ओर इशारा करता है कि चूंकि सरकार की एक बड़ी राजस्व राशि इसमें शामिल है, दू वि को एक ज्यादा सक्रिय अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है।

दू वि ने यह भी कहा कि विशेष लेखापरीक्षा दू वि द्वारा विशेष लेखा परीक्षा के बाद आपत्ति की गई राशि तथा सी ए जी लेखापरीक्षा में इंगित की गई राशि में अंतर है। इस अंतर का मुख्य कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग की गणना करने की पद्धति में अंतर हो सकता है जिसके लिए विशेष ऑडिटर के वर्किंग पेपर के डिटेल्स सी ए जी द्वारा नहीं देखे गए। परन्तु सी ए जी ऑडिट ने राजस्व (एल एफ व एस यू सी) की कम वसूली/गैर वसूली की गणना बी ए एल के 2006–07 से 2009–10 के लिए लेखों में स्पष्ट वर्णन के साथ मौजूद वास्तविक प्रविष्टियों से की है।

पोस्ट पेड अभिदाताओं के छूट/वेवर की राजस्व से नेटिंग ऑफ (3.2.2), दूसरे ऑपरेटरों के भुगतान किए गए इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक डिस्काउंट के नेटिंग ऑॅफ के कारण रोमिंग राजस्व को कम दर्शाया जाना (3.2.3) तथा पूर्ववर्ती एस बी ई एल के राजस्व को शामिल नहीं करना (3.3.6) से संबंधित पैरा के संबंध में दू वि ने कहा पी एस पी से प्राप्त उत्तर की समीक्षा हो रही है।

डिविडेंड के भुगतान के अलग अलग मानक (3.3.4), लीज लाइन प्रभारों के अनियमित कटौती का दावा (3.4.2) तथा एस यू सी के लिए बैंडविथ प्रभारों पर विचार नहीं करना (3.4.3) से संबंधित पैरा के बारे में यह कहा गया कि दू वि के संबंधित शाखाओं से उत्तर प्रतीक्षित थे।

सहायक कंपनियों के ब्याज रहित ऋण (3.3.2) से संबंधित पैरा के संबंध में यह कहा गया कि दू वि ने विधि मंत्रालय तथा दक्ष एटॉर्नी जनरल से परामर्श करके 2005 में निर्णय लिया था कि काल्पनिक ब्याज की न तो गणना की जा सकती है, न ही इसे ए जी आर में शामिल किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा का मत है कि सहायक कंपनियों को, जो कि पूर्ण स्वामित्व की नहीं थी, को दिए गए ब्याज

रहित ऋण पर ए जी आर के उद्देश्य से देय ब्याज की गणना नहीं करने का निर्णय 1956 के कंपनी अधिनियम के अनुरूप नहीं था। बिना पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को ब्याज रहित ऋण देने से बी ए एल का प्राप्ति योग्य राजस्व प्राप्य ब्याज की राशि तक कम हुआ तथा अंततः उस सीमा तक भारत सरकार को एल एफ तथा एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

पैरा 3.2.1(ख) तथा (ग) में उठाए गए ग्राहकों व डीलरों को प्रीपेड सेवाओं हेतु दिए गए ऑफर व छूट तथा राजस्व मद में अग्रिम डेबिट के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग पर दू वि का उत्तर प्रतीक्षित था।

दू वि ने यह भी कहा कि जी आर तथा ए जी आर की मूलभूत परिभाषा को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 2002–03 में चुनौती दी गई थी। तब से कई मुकदमें हुए जो आज तक जारी हैं। कुछ लाइसेंस धारकों ने भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्सन 4 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19 (1) (जी) का उल्लंघन बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर किया है (2012 में) इसकी वजह से सी सी ए कार्यालयों द्वारा कटौती निर्धारण तथा दू वि मुख्यालय द्वारा एल एफ निर्धारण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दू वि ने स्वीकार किया कि बहुत से विवादों के कारण ऑपरेटरों से प्राप्य राजस्व शेयर के निर्धारण में विलंब हुआ।

दू वि का उत्तर प्रमाणित करता है कि यद्यपि राजस्व शेयर व्यवस्था की शुरूआत एन टी पी–1999 के एक भाग के रूप में की गई थी, विभाग इसके लागू होने के 16 वर्ष बाद भी लाइसेंस करार में निहित उचित राजस्व शेयर की वसूली करने में विफल रहा।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जब सरकार ने अप्रैल 2004 से सभी ऑपरोटरों के लिए एल एफ दो प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया था, विभाग की यह अपेक्षा थी कि यह सभी ऑपरेटरों को सरकार के विरूद्ध विवादों को वापस लेने हेतु प्रेरित करेगा। परंतु एल एफ में कमी का अपेक्षित प्रभाव नहीं रहा तथा ऑपरेटरों ने जी आर/ए जी आर की परिभाषा तथा डिमांड नोट को चुनौती देते हुए सरकार के विरूद्ध मुकदमेबाजी जारी रखा। इस प्रकार निजी सेवा प्रदाताओं ने एल एफ की कमी का लाभ लिया, परन्तु सरकार को मुकदमेबाजी में कमी का पारस्परिक लाभ नही मिला